न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 17/17 दायर दिनांक:– 14.09.2017

1– गीता पत्नि सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी सांडिला तह.जायल जिला नागौर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251(क) RT Act.

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री चन्द्राराम बिडियासर प्रार्थी की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.04.18

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ग्राम सांडिला का निवासी है। ग्राम खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 1812 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा भूमि की खातेदार काश्तकार है। जिस के चिपते ही सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1817 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। प्रार्थीया राजकीय भूमि में से ही होकर ही अपनी भूमि मे जाती है। लेकिन इस राजकीय भूमि का उपयोग रास्ता प्रयोजन नहीं है। डामर सडक से प्रार्थीया को अपनी भूमि तक राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1817 किस्म गैर मुमकिन मंगरा में से होकर रास्ता 21 फुट चौडा प्रार्थीया के भूमि तक जाता है। उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी की दर से भूमि की सम्पूर्ण राशि प्रार्थीया जमा कराने के लिये तैयार है जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 1817 में से कटाणी रास्ता 21 फुट चोडा आने जाने के लिये दिया जावे। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से झे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र श कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज

11.4.18

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

करवाने का तहसीलदार जायल को आदेश को प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 1817 में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से वी के अनुशार 21 फुट चोडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./18/905 दिनांक 13.03.18 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थीया मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 1812 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा किस्म बा.4 की खातेदार है जिस में जाने के लिये सरकरी ख.नं. 1817 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा किस्म किस्म गै. मु. मगरा में से 21 फुट चौडा रास्ता चाहा है जो प्रार्थीया के खेत के चिपता ही खसरा है नजरी नक्शा के मार्क अ से वी तक 21 फुट चोडा रास्ता चाहा है जो प्रार्थीया के खेत के निकटतम दुरी पर पडता है तथा जिस का रकबा 06 बिस्वा बनता है तथा डी.एल.सी रेट से रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि की कीमत 49006 रू. बनती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की वहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 1812 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा किस्म बा.4 में से आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की मौजा खिंयाला के खेत खसरा नम्बर 1817 में से नजरी नक्शा के मार्क अ से वी तक 21 फुट चोडा रास्ता की मांग कर रहा है जो कटाणी रास्ते व प्रार्थीया के खेत के चिपता खेत है तथा कटाणी रास्ते के निकटतम दुरी पर पडता है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुशार एक काश्तकार को उसकी भूमि में आने–जाने के लिए निकटतम दुरी पर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रार्थीया की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवागमन के लिये रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार जायल ने खसरा नम्बर 1817 मौजा खिंयाला किस्म गै.मु.मंगरा में से चिपती भूमि को रास्ते के लिए नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक निकटतम दुरी पर बताया है। जिस का रकबा 06 बिस्वा बनता है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपोर्ट मुताबिक रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः

4.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 1817 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर.मु.मंगरा में से 21 फुट चोडा रास्ता रकबा 06 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के मार्क अ से बी के अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि प्रार्थीया से जमा लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रार्थीया से ली जाने वाली राशि को संबंधित सरकारी मद में जमा करावें। तहसीलदार जायल को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

11.4.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। 11.4.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner